

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

ई-मेल ssraj.sje@Rajasthan.gov.in

क्रमांक:-एफ15( )भिक्षा.नि./सा0सु0/सान्याअवि/22/ 58490

जयपुर, दिनांक 7-10-2022

आदेश

भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से प्रशिक्षण उपरान्त वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाकर पुनर्वासित कर समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जायेगा। राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास नियम, 2020 की अधिसूचना जारी की गई हैं। उक्त नियमों के तहत वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102204461, दिनांक 24.08.2022 की सलाह अनुसार प्रथम चरण में जयपुर (शहर) में 04 पुनर्वास गृहों के संचालन के लिए पुनर्वास गृहों को देय अनुदान की दरें निम्नानुसार होगी:-

क्र.सं.	देय सुविधा (Item)	देय राशि	पुनर्वास गृह की आवासीय क्षमता
1.	Scale of accommodation, food and clothing.- Inmate admitted in the Rehabilitation Home, shall be supplied with clothes, beddings, utensils, soap, hair oil etc. as per the scale and climatic conditions.	2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह	100
	-10 percent of the institution's share		
2.	non-recurring items (New items, chair, table etc.)	प्रति पुनर्वास गृह के अनावर्तक सामान के क्रय के लिए पॉच वर्ष के लिए 6.00 लाख रुपये देय।	
3.	Occupational Training, Material Note:- कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि एवं देय भुगतान राजस्थान कौशल वं आजीविका विकास निगम, जयपुर द्वारा गैर आवासीय प्रशिक्षण की दर (36 रुपये 30 पैसे प्रति घंटा प्रति प्रशिक्षार्थी) निर्धारण के आधार पर।	36.30x6 (घण्टे प्रति दिन)x90(कुल दिवस) =19602 रुपये प्रति प्रशिक्षार्थी	
4.	पुनर्वास गृह का किराया	0.96 लाख रुपये प्रति माह प्रति पुनर्वास गृह	

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 162201466, दिनांक 23.09.2022 के क्रम में जारी किया जाता है।


(हरि मोहन मीना)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ15( )भिक्षा.नि./सा0सु0/सान्याअवि/22/ 58491-93 जयपुर दिनांक 7-10-2022  
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।

4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
6. जिला कलक्टर, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
8. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि विभागीय वेब-साईट पर अपलोड हेतु।
10. उपनिदेशक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर (शहर)।
11. आदेश पत्रावली।

  
(डॉ. एस.एल. महोडिया)

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)